फर्द अहकाम

मुकेश बनाम कैलाश

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 77/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02/09/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति बाबत कुर्रेजात रिपोर्ट का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है जिसकी प्रति वादी के अधिवक्ता को दिलवाई गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा आपत्ति बाबत कुर्रेजात रिपोर्ट पर की गई बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र आपत्ति बाबत कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 03/09/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	03/09/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बाबत कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत कुर्रेजात	(हस्ताक्षर)

फर्द अहकाम

मुकेश बनाम कैलाश

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 77/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		रिपोर्ट पर दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त हम पाते है कि वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति विधि सम्मत नही है क्योंकि वादी व प्रतिवादी सं. 3, 4, 7, 8, 9, 10 को मनभर देवी के वारिस होना बताया गया है एवं मनभर देवी का हिस्सा रहन पर ही है उक्त पक्षकार/खातेदार मनभर देवी के वारिस होने के फलस्वरूप इनको इकजाई भूमि दी गई है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत कुर्रेजात रिपोर्ट अस्वीकार कर खारिज कि जाकर मनभर देवी का हिस्सा रहन मुक्त होने के पश्चात वादी को नवीन वाद लाने ~~कि~~ के अधिकार को सुरक्षित रखते हुऐ तहसीलदार टूंगा के पत्रांक LR/2024/2239 दिनांक 15/07/2024 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15/07/2024 के वादी का वाद अंतिम डिक्री किया

(क्रमशः)

फर्द अहकाम

मुकेश बनाम कैलाश

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 77/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		जाता है कि विवादित आराजी खसरा न. 109 रकबा 0.7840 हैक्ट. स्थित ग्राम भूधरपुरा प.ह. करणगढ़ तह. तूंगा जिला जयपुर मे से खसरा न. 109/1 रकबा 0.0700 हैक्ट., खसरा न. 109/3 रकबा 0.3120 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.3820 हैक्ट कि भूमि खातेदार अनोखी देवी पुत्री रामफूल हि. 341/3820 गंगादेवी पत्नि स्व. रामफूल हि. 341/3820 जयराम पुत्र रामफूल हि. 342/3820 मुकेश पुत्र रामफूल हि. 342/3820 श्योराम पुत्र रामफूल हि. 341/3820 सीताराम पुत्र रामफूल हि. 341/3820 गेन्दीदेवी पुत्री भौरया हि. 477/3820 गुलाबदेवी पुत्री भौरया हि. 477/3820 रामबाई पुत्री भौरया हि. 477/3820 जाति मीना सा. देह रहिन सैंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड टोंक शाखा तूंगा के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 109/2 रकबा 0.1100 हैक्ट. खसरा न. 109/4 रकबा 0.2720 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 0.3820 हैक्ट कि भूमि खातेदार कैलाश पुत्र बद्री हि. 1/2 मोती पुत्र बद्री हि. 1/2 के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा	

फर्द अहकाम

मुकेश बनाम कैलाश

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 77/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		न. 109/5 रकबा 0.0200 हैक्ट. कि भूमि सामलाती बदस्तूर जमाबंदी के हिस्से मे रहेगी। तहसीलदार तूंगा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने की कार्यवाही करें। डिक्री पर्चा जारी हो। बाद अनुमोदन विभाजन प्रस्ताव व नक्शे की प्रति तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो।
		पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।
		यह निर्णय आज दिनांक 03/09/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया
		[signature]